(3)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पटना, दिनांक............/2016

अधिसूचना

संख्या 15/एम 1–53/2014 .... बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की कंडिका 4 (3) के तहत बिहार राज्य में निजी क्षेत्र में संदीप विश्वविद्यालय, सिजौल, मधुबनी के स्थापना हेतु संदीप फाउंडेशन से प्राप्त प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर विचारण हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 891 दिनांक 07.05.2014 द्वारा एक त्रिसदस्यी समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 1780 दिनांक 07.09.2015 द्वारा प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया है। प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 21.11.2015 को विभाग में आशय पत्र के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

2. अनुपालन प्रतिवेदन पर निर्णय लिए जाने से पूर्व विभागीय स्तर पर लिए गए निर्णय के तहत प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय द्वारा निर्मित भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थलीय जाँच हेतु एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

1.	श्री डॉ0 पंडित प्रभाकर पलाण्डे, कुलपति, बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर,	संयोजक सदस्य।
2.	प्रो0 (डॉ0) खालिद मिर्जा, निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	सदस्य
3.	श्री ब्रजेश प्रसाद, मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना।	सदस्य

3. समिति अपना प्रतिवेदन विभागीय स्तर पर निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में तैयार चेकलिस्ट (चेकलिस्ट संलग्न) के आधार पर 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से विभाग में उपलब्ध कराएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–53/2014 – 373 पटना, दिनांक 26/2/2016

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
26/2/16

निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में चेक लिस्ट

1.	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम।	
2.	प्रायोजक निकाय का नाम एवं पता।	
3.	विश्वविद्यालय में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के संबंध में बचनबद्धता दिए जाने की स्थिति (अधिनियम की धारा 5 (i) (vi) एवं यू0जी0सी0 अद्यतन प्रावधानों के अनुसार।	
4.	प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 5 (iii) के अनुसार कुल 10000 वर्ग मीटर भवन निर्मित होने की स्थिति एवं उसका विस्तृत व्योरा मसलन प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन, प्रयोगशाला, कॉमन रूम, लाईब्रेरी आदि की स्थिति।	
5.	बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 5 (iv) के तहत पुस्तकों एवं जर्नल क्रय होने की स्थिति।	
6.	बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 5 (v) के अनुसार उपकरण/कम्प्यूटर/फर्नीचर एवं अन्य चल/अचल आस्तियों तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं (भवन के अलावे) के क्रय अथवा उपलब्धता की स्थिति।	
7.	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना एवं अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को अपनाने के लिए बचनबद्धता दिए जाने की स्थिति।	
8.	बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 9 के अनुसार आवश्यक भूमि उपलब्धता की स्थिति (भूदस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है।	
9.	बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की कंडिका 11 के अनुसार Endowment fund के गठन की स्थिति।	

10	बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अनुसार सामान्य निधि के गठन की स्थिति।	
11.	बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 14 के आलोक में प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संचालन हेतु नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों को नामित किए जाने हेतु प्रायोजक निकाय द्वारा लिए गए निर्णय की स्थिति।	
12.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारो के गठन की स्थिति यथा (1) शासी निकाय, (2) प्रबंधन समिति (3) विद्वत परिषद् (4) अन्य प्राधिकार (अधिनियम की धारा 21 के अनुसार)	
13.	प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए स्थापित पुस्तकालय का विवरण। (1) आच्छादित क्षेत्र (2) पुस्तकों की संख्या (3) जर्नल की संख्या (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय) (4) ई–लाईब्रेरी की स्थापना की स्थिति	
14.	वर्ग कक्षों की संख्या (विस्तृत विवरण)।	
15.	प्रयोगशालाओं की संख्या (विस्तृत विवरण)	
16.	विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण(MIS) किया गया है अथवा नहीं। यदि हॉ तो किस हद तक ?	
17.	नये पाठ्यक्रमों को शुरू किए जाने की योजना।	
18.	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए यदि किसी नियामक निकाय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी है तो नियामक निकाय से पूर्वानुमति प्राप्त है अथवा नहीं	

19.	बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 30 के तहत प्रथम परिनियम प्रारूपण की स्थिति।	
20.	बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 32 के तहत विश्वविद्यालय संचालन प्रस्तावित प्रथम अध्यादेश प्रारूपण की स्थिति।	
21.	बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 34 के अनुसार प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संचालन हेतु विनियम प्रारूपण की स्थिति।	
22.	बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 35 के अनुसार नामांकन में राज्य सरकार के आरक्षण नीति के पालन किए जाने की प्रतिबद्धता दिए जाने की स्थिति।	
23.	प्रस्तावित विश्वविद्यालय में शुरू किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों से प्राप्त किए जाने वाले शुल्क संरचना (बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 36 के अनुसार) का विवरण।	
24.	बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना के तीन वर्षों के अंदर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) से मान्यता प्राप्त कर लिए जाने की प्रतिबद्धता दिए जाने की स्थिति।	

- **जाँच समिति द्वारा स्थलीय भ्रमण किए जाने की तिथि** :–
- **जाँच समिति की पर्यवेक्षणीय टिप्पणी** :–
- **जाँच समिति का परामर्श** :–
- **जाँच समिति का विशिष्ट अनुशंसा** :–

जाँच समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर